20/2/24

~~पत्रावली~~ प्रार्थिका कमलेश वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ~~अ~~शाखा लवकी पर पेश हुई। प्रार्थिगण अपने प्रार्थना-पत्र की किस्म को विड्रा करवाना चाहते है। प्रार्थिका की ओर से वकील ~~[illegible]~~ पत्र ~~[illegible]~~ कर उपस्थित है। पहचान करवाई गई। प्रार्थिका को सुना गया। प्रार्थिका स्वेच्छा से अपने प्रार्थना किस्म को विड्रा करना चाहते है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र विड्रा की अनुमति देकर प्रार्थना पत्र हमेशा हेतु खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.05 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)